



नालन्दासमाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला भू-अर्जनशाखा)



—: आदेश :-

उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनःबन्दोवस्ती में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के तहत परियोजना निजाय गोनावॉ पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण के लिए मौजा-निजाय थाना नं०-11, मौजा-बसनीमा थाना नं०-248, मौजा-रामपुर थाना नं०-253, मौजा-गोखुलपुर थाना नं०-254, मौजा-पोआरी थाना नं०-230 एवं मौजा-फैजाबाद थाना नं०-247 में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। विशेषज्ञ समूह के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन पर विचारोपरांत इस परियोजना में मार्ग रेखांकन एवं अधियाचना के अनुरूप उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनःबन्दोवस्ती में पारदर्शिता अधिनियम-2013 की धारा-8 के तहत भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी जाती है।

६०—

समाहर्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक—.....327...../भू0अ0

दिनांक—.....10...../02/2020

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, हरनौत/रहुई को सूचनार्थ एवं प्रभावित क्षेत्र में प्रकल्पनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहासरीफ को सूचनार्थ एवं प्रभावित क्षेत्र में प्रकल्पनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं समाहर्ता के सूचना पट पर प्रकल्पनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता,
नालन्दा।